Reviews of Literature
Impact Factor : 1.4716 (UIF)
Volume 2 , Issue 5 / Dec 2014 ISSN:-2347-2723

भगत सिंह और असेम्बली बम्ब काण्ड

राजीव कुमार
इतिहास विभाग , कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)

प्रस्तावना :

भगतसिंह के क्रातिकारी जीवन की शुरूआत उस काल में हुई थी जब देश का सर्वहारा वर्ग भारत के मुक्ति–संघर्ष को नेतृत्व देने के लिए तैयार हो रहा था । 1920 के बाद से मजदूर आंदोलन लगातार तेज़ होता जा रहा था । कुछ महीनों में ही देश मे दो सौ हड़तालें हुई थीं, जिनमें 15 लाख मजदूरों ने भाग लिया था । मज़दूर वर्ग की विचारधारा, मार्क्सवाद, लोगो मे तेजी से बढ़ रही थी और ब्रिटिशराज के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी।

सन् 1929 आते–आते देश में मज़दूर आंदोलन काफी तीव्र हो चुका था । उसके लगातार ताक़तवर होते जाने से ब्रिटिश साम्राज्यवादी चिंतित हो उठे । उनकी चिंता का कारण मज़दूर वर्ग की हड़तालों से होने वाले आर्थिक नुकसान से अधिक राजनीतिक था, क्योकि सर्वहारा वर्ग के आंदोलन के आगे बढ़ने के साथ–साथ उसकी विचारधारा, मार्क्सवाद, भी जनता में आगे बढ़ रही थी, जो आगे चलकर साम्राज्यवाद के लिए सबसे बडा ख़तरा बन सकती थी । इसलिए समय रहते मज़दूर वर्ग के आगे बढ़ते क़दम को रोकना उनके लिए आवश्यक हो गया । अतः मज़दूर आंदोलन को कुचलने की नीयत से उन्होंने ट्रेड डिसप्यूट्स बिल का मसौदा तैयार किया । बिल के मज़दूर–विरोधी और दमनकारी प्रारूप का पता चलने के बाद देश भर में उसका विरोध होने लगा ।[1] मज़दूर आंदोलन से जुडे संगठन, राजनीतिक दल व राष्ट्रवादी समाचार–पत्र इसका जमकर विरोध करने लगे । भगतसिंह और उनके साथियों ने भी इस बिल के मसौदे का गंभीरता से अध्ययन किया (इसका प्रमाण यह है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंके जोन के बाद जब पुलिस ने अगरा में, क्रांतिकारियों के एक गुप्त स्थान की तलाशी ली, तो उसे वहां इस बिल की एक प्रति मिली थी) और पार्टी को मजदूर आंदोलन के साथ जोड़ने का इसे एक बेहतर अवसर समझा । यही नहीं, सांडर्स की हत्या के बाद एक बार फिर आम जनता का ध्यान अपनी और खीचने और उसे सीधे–सीधे क्रांति के लिए अपना संदेश और कार्यक्रम देने के लिए पार्टी ने इसे सबसे अच्छा मौक़ा भी समझा ।[2]

मज़दूर वर्ग के जोरदार विरोध के बावजूद ब्रिटिश सरकार इस बिल को केंद्रीय असेंबली में पेशकर पास कराने पर अड़ी हुई थी । इस बात की पूरी संभावना थी कि असेंबली में यदि बिल मतदान द्वारा गिर भी जाता है, तो वायसराय अपनी विशेष शक्तियों (अधिकारों) का प्रयोग कर उसे सहमति प्रदान कर देगा । ऐसी स्थिति में भगतसिंह और उनके साथियों का मत था कि कोई ऐसा जोरदार एक्शन होना चाहिए, जो न सिर्फ साम्राज्यवादियों की इस कार्यवाई का विरोध प्रकट करता हो बल्कि जिससे देश की सोई हुई जनता भी जागे और वक्त के

---

1. **अभय सिंह सन्धु, शहीद ए आजम भगत सिंह की जेल डायरी, सा॰ कुलीबर सिंह मैमोरियल पब्लिकेशन लुधियाना, पृ॰ 98**
2. **वही, पृ॰ 77**

गलियारों में उस विरोध की गूंज भी दूर और देर तक गूंजती रहे । ऐसे किसी एक्शन पर सोच–विचार का काम एच.एस.आर.ए. की सेंट्रल कमेटी को सौप दिया गया ।[3]

जब ट्रेड डिसप्यूटस बिल पर असरदार ढग से पार्टी का विरोध दर्ज करवाने के तरीके पर बात हुई तो भगत सिंह ने वैलिया वाले एकशन का सुझाव दिया था । भगतसिंह जब नेशनल कॉलेज, लाहौर में पढ़ा करते थे, उन्ही दिनों उन्होनें फ्रांस के अराजकतावादी बैलियां के बारे में पढ़ा था और उसके एक्शन से वह काफी प्रभावित थे । यूरोप में शासकों द्वारा क्रूरता, दमन और उत्पीड़न की सभी सीमाएं लांघ जाने पर उनके विरोध में फ्रांस की असेंबली में जोरदार धमाके वाला बम फेंकने के बाद पकड़े जाने पर वैलियां ने अपने बयान में कहा था, "बहरों को सुनाने के लिए जोरदार विस्फोट की जरूरत होती है ।"[4]

चंद्रशेखर आजाद और अन्य कामरेड उनके सुझाव से सहमत हुए थे और यह तय किया गया था कि असेंबली में ट्रेड डिसप्यूट्स बिल के मतदान द्वारा गिर जाने के बाद, जब वायसराय के विशेषाधिकार द्वारा उसको पारित किए जाने की घोषणा की जा रही हो, तब उन क्षणों का मनोवैज्ञानिक लाभ उठाते हुए, दो बम पार्टी के क्रातिकारी घोषणा–पत्र के साथ केंद्रीय असेंबली के बीचों–बीच फेंके जाएं और साम्राज्यवाद के विरुद्ध और मज़दूर वर्ग के साथ एकजुटता के नारे भी लगाए जाएं । इसके साथ ही सेट्रल कमेटी ने यह भी तय किया कि बमों का धमाका तो अवश्य जोरदार हो, जो वक्त के गलियारों में देर तक गूंजता रहे, लेकिन असेंबली में मौजूद किसी भी व्यक्ति का जीवन उससे संकट में नहीं पड़े ।[5]

इस 'एक्शन' की क्रियात्मक रूप देने की जिम्मेदारी अतंत, भगतसिंह को सौंपी गई, जिन्होने अपने सहयोगी के रूप में कामरेड बटुकेश्वर दत्त को चुना । इस काम के लिए भगतसिंह पार्टी की पहली पसंद नही थे । कारण? वह और उनके सभी साथी यह अच्छी तरह जानते थे कि जो भी इस काम के लिए जाएगा, कुछ दिनों बाद वह इतिहास बन जाएगा । भगतसिंह अपने साथियों–विजय कुमार सिन्हा, सुखदेव और भगवतीचरण वोहरा की तरह, पार्टी के मुख्य बुद्धिजीवी थे और नेतृत्व की क्षमता भी रखते थे । इस कारण सेंट्रल कमेटी की पहली मीटिंग में, भगतसिंह द्वारा इस काम के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने पर भी, सभी ने उनको इस काम के लिए अस्वीकार करते हुए, भविष्य में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए, उन्हें इस एक्शन प्रोग्राम से अलग रखने का फैसला किया था ।[6] यद्यपि भगतसिंह इस फैसले से खुश नही थे, किंतु पार्टी अनुशासन के कारण उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा था ।

बाहर गए होने के कारण सुखदेव इस मीटिंग में हिस्सा नही ले सके थे । वापस आने पर जब उन्हें पता चला कि इस काम के लिए भगतसिंह को नही चुना गया, तो वह भगतसिंह पर बहुत नाराज हुए । कारण, वह समझते थे कि पार्टी की विचारधारा, आदर्श और उसके क्रांति के कार्यक्रम को लोगों के सामने भगतसिंह से बेहतर कोई और नही रख सकता था ।[7]

एच.एस.आर.ए. का हर सदस्य, हर समय एक्शन के लिए हमेशा तैयार रहता था । पार्टी के अब तक के इतिहास के इस सबसे बड़े और महत्वपूर्ण काम के लिए जब भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त के नाम तय हो गए, तो बाकी साथियों की तरह इसमें भाग न ले सकने के कारण शिव वर्मा भी जब अनमने –से हो गए, तो भगतसिंह ने उनसे कहा :

"देश की जनता हमारे साहस और हमारे कामों की सराहना करती है लेकिन हमसे सीधा संबंध जोड पाने में वह असमर्थ है । अभी तक हमने उसे खुले शब्दों में यह बात नही बताई कि जिस आजादी की हम बात करते है, उसकी रूपरेखा क्या होगी; अंग्रेजों के चले जाने के बाद जो सरकार बनेगी, वह कैसी होगी और किसकी होगी । अपने आंदोलन को जनाधार देने के लिए हमें अपना ध्येय जनता के बीच ले जाना होगा, क्योकि जनता का

3. मलविन्द्र जीत सिंह, भगत सिंह द इंटरनल रिबैट, डिविजन मिनिस्टर, आूफ इन्फारमेशन गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, दिल्ली, पृ॰ 75

4. श्याम सुन्दर, शहीद भगत सिंह, लक्ष्य और विचारधारा, एकता प्रकाशन हिसार, पृ॰ 125

5. वही, पृ॰ 75

6. भगत सिंह, आई॰ एस॰ ए॰, रिवोल्यशनरी नॉट ए टैरटिस्ट, जनवादी संस्कृतिक मंच, फतेहाबाद, 1987, पृ॰ 146

7. मदनलाल कुमार, आजादी के मतवाले : अमर शहीद भगत सिंह, उनके पूर्वज एवं साथी, दिव्य ज्योति प्रा बुक्स लिमिटेड करनाल, पृ॰ 97

समर्थन प्राप्त किए बगैर हम अब पुराने ढंग से इक्के–दुक्के अंग्रेज अधिकारियों या सरकारी मुखबिरों को मार कर नही चल सकते । हम अभी तक संगठन और प्रचार की और से उदासीन रहकर प्रायः एक्शन पर ही जोर देते रहे है । काम का यह तरीका हमें छोडना पड़ेगा । मै तुम्हें और विजय को संगठन तथा प्रचार के कामों के लिए पीछे छोड़ना चाहता हूँ ।[8]

हम सब लोग सिपाही हैं और सिपाही का सबसे अधिक मोह होता है–

रणक्षेत्र से । इसलिए 'एक्शन' पर चलने की बात उठते ही सब लोग उछल पडते हैं । फिर भी आंदोलन का ध्यान रखकर किसी न किसी को तो 'एक्शन' का मोह छोडना की पड़ेगा। यह यही है कि आमतौर पर शहादत का सेहरा 'एक्शन' में जूझने वालों या फांसी पर झूल जाने वालों से सिर पर ही बंधता है लेकिन इसके बावजूद उनकी स्थिति इमारत के मुख्य द्वार पर जड़े उस हीरे के समान ही रहती है, जहां तक इमारत का सवाल है, नींव के नीचे दबें एक साधारण पत्थर के मुकाबले कुछ भी नही होता है । हीरे इमारत की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, देखने वालों को चकाचौंध कर सकते हैं, लेकिन वे इमारत की बुनियाद नहीं बन सकते, उसे लंबी उम्र नहीं दे सकते, सदियों तक अपने मज़बूत कंधों पर उसके बोझ को उठाकर, उसे सीधा खड़ा नही रख सकते ।[9] अभी तक हमारे आंदोलन ने हीरे कमाए हैं, बुनियाद के पत्थर नहीं बटोरे । इसीलिए इतनी कुर्बानी देने के बाद भी हम अभी तक इमारत क्या, उसका ढांचा भी खड़ा नही कर पाए । आज हमें बुनियाद के पत्थरों की जरूरत है ।

त्याग और कुर्बानी के भी दो रूप हैं । एक है गोली खाकर या फांसी पर लटक कर मरना । इसमें चमक अधिक है लेकिन तकलीफ कम । दूसरा है, पीछे रहकर सारी जिंदगी इमारत का बोझ ढोते फिरना । आंदोलन के उतार–चढ़ाव के बीच प्रतिकूल वातावरण में कभी ऐसे भी क्षण आते है, जब एक–एक करके सभी हमराही छूट जाते है । उस समय मनुष्य सांत्वना के दो शब्दों के लिए भी तरस उठता है । ऐसे क्षणों में भी जो लोग विचलित न होकर अपनी राह नहीं छोडते, इमारत के बोझ से जिनके पैर नही लड़खडाते, कंधे नहीं झुकते, जो तिल–तिलकर अपने आपकों इसलिए गलाते रहते है कि दीए की जोत मद्धम न पड़ जाए, सुनमान डगर पर अंधेरा न छा जाए, ऐसे लोगो की कुर्बानी और त्याग पहले वालों के मुकाबले क्या अधिक नहीं है?"[10]

8 अप्रैल, 1929 को केंद्रीय असेंबली हॉल में सर जॉर्ज शुस्टर ने जब उपस्थित सदस्यों को वायसराय की और से 'खुशखबरीञ देने के लिए बोलना शुरू किया, तो दर्शक दीर्घा में बैठे अन्य क्रांतिकारी एक–एक करके उठकर बाहर जाने लगे । जाते–जाते वे भगतसिंह और बटुकेश्वतर दत्त के असेंबली में प्रवेश करने के पास और पिस्तौल भी साथ लेते गए ताकि जिन्होंने भी उन्हें वहां पहुंचने में सहायता की थी, उनके कारण बाद में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो।[11]

शुस्टर के भाषण के बाद जब शून्य काल शुरू हुआ और उसने सदन को वायसराय द्वारा अपने विशेष अधिकारों के द्वारा 'पब्लिक सेफ्अी बिलञ और 'ट्रेड डिसम्यूट्स बिलञ को अनुमोदित करने की, जिन्हें सदन ने मतदान द्वारा खारिज कर दिया था, घोषणा करनी शुरू की, तब भगतसिंह अपनी सीट से उठे और एक कदम आगे बढ़कर उन्होने शुस्टर की डेस्क के पीछे बम फेंका । जोरदार कर्णभेदी धमाका हुआ । उसी समय दत्त भी आगे बढ़े और उन्होने दूसरा बम फेंका । धमाकों से सदन में भारी शोर उठा, वहां अफरा–तफरी मच गई । उसी वक्त भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजी में छपे पर्चे सदन में फेंकते हुए 'इंकलाब–जिंदाबादञ 'साम्राज्यवाद–मुर्दाबादञ और 'दुनिया के मजदूरो, एक हो! के अंग्रेजी में नारे लगाने शुरू कर दिए।[12]

---

8. अवतार सिंह जयसवाल, आजादी की लड़ाई गांधी और भगत सिंह, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पृ० 75

9. वही, पृ० 81

10. ब्रह्मचारी शंभूनाथ 'स्नेहित' भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन : 1914-31, पृ. 131-40

11. रवि राजन, एम० के० सिंह, भगत सिंह, के के पब्लिकेशन दिल्ली, पृ० 215

12. मदनलाल कुमार, आजादी के मतवाले : अमर शहीद भगत सिंह, उनके पूर्वज एवं साथी, दिव्य ज्योति प्रा बुक्स लिमिटेड करनाल, पृ० 125

'हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेनाञ
सूचना

'बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती हैञ प्रसिद्ध फ्रांसीसी अराजतावादी शहीद वैलियां के ये अमर शब्द हमारे काम के औचितय के साक्षी हैं ।

पिछले दस वर्षो में ब्रिटिश सरकार ने शासन–सुधार के नाम पर इस देश का जो अपमान किया है, उसकी कहानी दोहराने की आवश्यकता नहीं और न ही हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पुकारी जाने वाली इस सभा ने भारतीय राष्ट्र के सिर पर पत्थर फेंककर जो अपमान किया है, उसके उदाहरणों को यांद दिलाने की आवश्यकता है । यह सब सर्वविदित और स्पष्ट है । आज फिर जब लोग 'साइमन कमीशनञ में कुछ सुधारों के टुकडों की आशा में आंखे फैलाए हैं और उन टुकडों के लोभ में आपस मे झगड़ रहे है, विदेशी सरकार 'सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकञ (पब्लिक सेफ्टी बिल) और 'औद्योगिक विवाद विधेयकञ (ट्रेड डिसप्यूट्स बिल) के रूप में अपने दमन को और भी कड़ा कर लेने का यत्न कर रही है । इसके साथ ही आने वाले अधिवेशन में 'अखबारों द्वारा राजद्रोह रोकने का कानूनञ (प्रेस सैडिशन एक्ट) जनता पर कसने की भी धमकी दी जा रही है । सार्वजनिक काम करने वाले मजदूर नेताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारियां यह स्पष्ट कर देती है कि सरकार किस रवैये पर चल रही है ।

राष्ट्रीय दमन और अपमान की इस उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति में अपने दायित्व की गंभीरता को महसूस कर 'हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघञ ने अपनी सेना को यह कदम उठाने की आज्ञा दी है । इस कार्य का मकसद है कि कानून का यह अपमानजनक नाटक खत्म कर दिया जाए । विदेशी शोषक नौकरशाही जो चाहे करे, परंतु उसकी वैधानिकता की नकाब फाड़ देना जरूरी है ।

जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि वे इस पार्लियामेंट के पाखंड को छोडकर अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों को लौट जाएं और जनता को विदेशी दमन और शोषण के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार करे । हम विदेशी सरकार को यह बतला देना चाहते हैं कि हम 'सार्वजनिक सुरक्षाञ और 'औद्योगिक विवादञ के दमनकारी कानूनों और लाला लाजपतराय की हत्या के विरोध में देश की जनता की और से यह कदम उठा रहे हैं ।

हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं । हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिल सके । हम इनसान का खून बहाने की अपनी विवशता पर दुखी हैं, परंतु क्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्राति में कुछ न कुछ रक्तचाप अनिवार्य है ।[13]

इंकलाब जिंदाबाद ।
हस्ताक्षर–बलराज
कमांडर–इन–चीफ

बम धमाकों के कारण पैदा हुआ धुआं जब छंटा और अफरा–तफरी रुकी, तो उन्होने देखा कि विट्ठलभाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, मुहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय अपनी–अपनी सीटों से चिपके बैठै थे और डरा हुआ सर जार्ज शुस्टर एक डेस्क की आड़ लेकर छिपा हुआ था ।

कुछ मिनट बीत जाने के बाद सार्जेंट टेरी पुलिस दस्ते के साथ दर्शक दीर्घा के दरवाजे पर प्रकट हुआ । भगतसिंह और बी. के. दत्त शांत खड़े थे । उनकी और पिस्तौल ताने टेरी आगे बढ़ा, किंतु उनसे कुछ ही दूरी पर, उनके हथियारबंद होने की शंका के कारण, ठिठककर रुक गया । तब भगतसिंह ने उससे कहाः "हम स्वयं को गिरफ्तारी के लिए पेश करते हैं । हमारे पास हथियार नहीं है।"[13]

पार्लियामेंट आते समय भगतसिंह अपने साथ पिस्तौल लाए अवश्य थे ताकि 'एक्शनञ से पहले कोई उन्हें काबू न कर सकें । सुरक्षित दर्शक दीर्घा तक पंहुचने के बाद वह पिस्तौल उन्होने साथ आए साथियों को सौंप दी थी, जो उसे लेकर वापस चले गए थे ।

गिरफ्तारी के बाद भगतसिंह को वहां भेजा गया, जहां आजकल थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट है और बटुकेश्वर दत्त को पुरानी दिल्ली कोतवाली ले जाया गया था । कुछ दिनों तक पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया, जो दिल्ली गेट पर स्थित थी, जहां आजकल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज बना हुआ है । जेल में दोनो

[13]. शहीद भगत सिंह की जेल डायरी, निर्देशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़, 2008, पृ॰ 203–207

को अलग–अलग रखा गया था । फिर 7 मई 1929 को जेल ऑफिस के ही एक कमरे की आदालत बनाकर उन पर मुकदमा शुरू किया गया । मजिस्ट्रेट मिस्टर पूल के अदालत में दाखिल होते ही दोनो ने जब 'इंकलाब जिदाबाद! और 'साम्राज्यवाद का नाश हो! के नारे लगाए, तो क्रोधित हो मि. पूल ने दोनो को हथकड़ी लगाने का आदेश दे दिया ।[14] तब उनकी और से प्रस्तुत वकील आसिफ अली ने जो कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य भी थे, मजिस्ट्रेट को किसी तरह शांत किया और दोनो को सलाह दी कि बम फेंकने से इनकार कर दो । सलाह मानने की जगह दोनो ने एच.एस.आर.ए. के उदेश्य पर पहले से तैयार अपना लिखित बयान अदालत में रखा, जिसे अस्वीकार करते हुए उसके केवल एक वाक्य, 'हम स्वीकार करते है कि हम सेट्रल असेंबली में दाखिल हुए और वहां पर बम फेके, को ही स्वीकार किया गया ।[15]

अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने पूरे बयान को इसलिए अस्वीकार कर दिया था ताकि वह जनता तक नही पहुंच सके । परंतु कोर्ट में मौजूद पत्रकारों ने उसके उदेश्य पर पानी फेर दिया । क्रांतिकारियों का बयान अदालत में जमा होते ही पत्रकारों ने उसकी कॉपी प्राप्त की और उसे अपने–अपने समाचार–पत्रों ने उस बयान के लिए अपने विशेष परिशिष्ट निकाल कर उसे जनता तक पहुंचा दिया । इससे सरकारी क्षेत्रों में काफी खलबली मची । मिस्टर पूल ने बम कांड के केस को सेशन कोर्ट के सुपुर्द कर दिया ।[16]

"असेबली बम कांड की सुनवाई" दिल्ली में सेशन जज मिस्टर लियोनार्ड मिडिल्डन की कोर्ट में जून, 1929 के पहले सप्ताह में शुरू हुई । 6 जून, 1929 को भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कोर्ट में जो बयान दिया, वह ऐतिहासिक था ।इस लिखित बयान को उनकी और से उनके वकील आसिफ अली ने कोर्ट में पढ़ा था इसमें उन्होने कहा था ।[17]

"हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि हम भी अपनी सफाई में कुछ शब्द कहें । हमारे कथित अपराध के संबंध मे निम्नलिखित प्रश्न उठते है :

1. क्या वास्तव में असेंबली में बम फेंके गए थे, यदि हां, तो क्यों?
2. नीचे की अदालत में हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए है, वे सही है या गलत?

पहले प्रश्न के पहले भाग के लिए हमारा उत्तर स्वीकारात्मक है, लेकिन चश्मदीद गवाहों ने इस मामले में जो गवाही दी है, वह सरासर झूठ है । चूंकि हम बम फेंकने से इनकार नहीं कर रहे है, इसलिए यहां इन गवाहों के बयानों की सच्चाई की परख भी हो जानी चाहिए । साथ ही, हम सरकारी वकील के उचित व्यवहार तथा अदालत के अभी तक के न्यायसंगत रवैये को भी स्वीकार करते हैं।[18]

पहले प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर देने के लिए हमें इस बम कांड जैसी ऐतिहासिक घटना के कुछ विस्तार में जाना पड़ेगा ।हमने वह काम किस अभिप्राय तथा किन परिस्थितियों के बीच किया, इसकी पूरी और खुली सफाई आवश्यक है।

जेल में हमारे पास कुछ पुलिस अधिकारी आए थे । उन्होने हमें बताया कि लॉर्ड इर्विन ने इस घटना के बाद ही असेंबली के दोनो सदनों के सम्मिलित अधिवेशन में कहा है कि "यह विद्रोह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, वरन पूरी शासन–व्यवस्था के विरुद्ध था ।"[19] सुनकर हमने तुरंत भांप लिया कि लोगों ने हमारे काम के उदेश्य की सही तौर पर समझ लिया है ।

भगत सिंह सैजन अदालत ने ब्यान करते है "मानवता को प्यार करने में हम किसी से पीछे नहीं है । हमें किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है और हम प्राणिमात्र को हमेशा आदर की नजर से देखते आए हैं । हम न तो बर्बरतापूर्ण उपद्रव करने वाले देश के कलंक हैं, जैसा कि सोशलिस्ट कहलाने वाले दीवान चमनलाल ने कहा है

[14]. भगत सिंह, आई॰ एस॰ ए॰, रिवोल्यशनरी नॉट ए टैरटिस्ट, जनवादी संस्कृतिक मंच, फतेहाबाद, 1987, पृ॰ 170

[15]. अवतार सिंह जयसवाल, आजादी की लड़ाई गांधी और भगत सिंह, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पृ॰ 83

[16]. भगवान दत, भगत सिंह के अति महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, एकता पब्लिकेशन हिसार, पृ॰ 81

[17]. के॰ के॰ खुल्लर, आजादी की मशालें, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली,, 2005, पृ॰ 82

[18]. रघुबीर सिंह, भगत सिंह और स्वतन्त्रता संग्राम, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ॰ 212

[19]. शिव वर्मा, शहीद भगत सिंह की चुनी हुई कृतियाँ, समाजवादी साहित्य सदन, कानपुर, 1983, पृ॰ 87

और न ही हम पागल हैं, जैसा कि लाहौर के ट्रिब्यून और कुछ अन्य अखबारों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है । हम तो केवल अपने देश के इतिहास, उसकी मौजूदा परिस्थिति तथा अन्य मानवोचित आकांक्षाओं के मननशील विद्यार्थी होने का विनम्रतापूर्वक दावा भर कर सकते हैं । हमे ढोंग तथा पाखंड से नफरत है ।"[20]

(भगतसिंह से जब नीचे की अदालत में पूछा गया था कि क्रांति से उनका क्या मतलब है, तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होने कहा था) क्रांति के लिए खूनी लड़ाइयां जरूरी नहीं है और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान है । वह बम और पिस्तौल का सांप्रदाय नहीं है । क्रांति से हमारा अभिप्राय है – अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज–व्यवस्था में आमूल परिवर्तन ।[21] "एक ऐसी समाज–व्यवस्था की स्थापना से है, जो इस प्रकार से संकटो से बरी होगी और जिसमें सर्वहारा–वर्ग का अधिनायकत्व सर्वमान्य होगा और जिसके फलस्वरूप स्थापित होने वाला विश्व–संघ पीड़ित मानवता को पूंजीवाद के बंधनों और साम्राज्यवादी युद्ध की तबाही से छुटकारा दिलाने में समर्थ हो सकेगा ।"[22]

यह है हमारा आदर्श! और इसी आदर्श से प्रेरणा लेकर हमने एक सही तथा पुरजोर चेतावनी दी है । लेकिन अगर हमारी इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया और वर्तमान शासन–व्यवस्था उठती हुई जनशक्ति के मार्ग में रोड़े अटकाने से बाज न आई, तो क्रांति के इस आदर्श की पूर्ति के लिए एक भयंकर युद्ध का छिड़ना अनिवार्य है । सभी बाधाओं को रौदंकर आगे बढ़ते हुए उस युद्ध के फलस्वरूप सर्वहारा–वर्ग के अधिनायक तंत्र की स्थापना होगी । यह अधिनायक तंत्र क्रांति के आदर्शो की पूर्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा । क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है, जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता । स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है । श्रमिक वर्ग की समाज की वास्वतिक पोषक है, जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है । इन आदर्शो के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे । क्रांति की इस पूजा–वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, क्योकि ऐसे महान उदेश्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है । हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहें हैं ।

6 जून, 1929इंकलाब जिंदाबाद[23]

परन्तु अग्रेजी सरकार सेशन जज मि़ मिडिल्टन ने 12 जून, 1929 को दोनो क्रांतिकारियों को असेंबली बम केस में अजीवन कारावास की सजा सुना दी ।[24] इसके बाद दोनो को दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस में पेश होने के लिए लाहौर रवाना कर दिया गया । वहां भगतसिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया और बटुकेश्वर दत्त को दूसरी जेल मियांवाली जेंल मे भेज दिया गया था । इस प्रकार भगत सिंह अपने मकसद मे कामयाव हो गए जिसके लिए उन्होने असेम्बली मे बम फैका था, उनके विचारों ने आमजन मानस के मस्तिष्क पर व्यापक प्रभाव डाला ।

[20]. अवतार सिंह जयसवाल, आजादी की लड़ाई गांधी और भगत सिंह, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पृ० 116

[21]. शिव वर्मा, शहीद भगत सिंह की चुनी हुई कृतियाँ, समाजवादी साहित्य सदन, कानपुर, 1983, पृ० 129

[22]. वही, पृ० 133

[23]. भगत सिंह और उनके साथियों के सम्पूर्ण उपलब्ध दस्तावेज, पृ० 301–306

[24]. भगत सिंह, आई० एस० ए०, रिवोल्यशनरी नॉट ए टैरटिस्ट, जनवादी संस्कृतिक मंच, फतेहाबाद, 1987, पृ० 14

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्याम सुन्दर, शहीद भगत सिंह, लक्ष्य और विचारधारा, एकता प्रकाशन हिसार।
2. ब्रह्मचारी शंभूनाथ 'स्नेहितञ भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन : 1914–31।
3. के॰ के॰ खुल्लर, आजादी की मशालें, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली,, 2005।
4. मदनलाल कुमार, आजादी के मतवाले : अमर शहीद भगत सिंह, उनके पूर्वज एवं साथी, दिव्य ज्योति प्रा बुक्स लिमिटेड करनाल।
5. मलविन्द्र जीत सिंह, भगत सिंह द इंटरनल रिबैट, डिविजन मिनिस्टर, आूफ इन्फारमेशन गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, दिल्ली।
6. शिव वर्मा, शहीद भगत सिंह की चुनी हुई कृतियाँ, समाजवादी साहित्य सदन, कानपुर, 1983।
7. भगवान दत, भगत सिंह के अति महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, एकता पब्लिकेशन हिसार ।
8. भगत सिंह और उनके साथियों के सम्पूर्ण उपलब्ध दस्तावेज।
9. भगत सिंह, आई॰ एस॰ ए॰, रिवोल्यशनरी नॉट ए टैरटिस्ट, जनवादी संस्कृतिक मंच, फतेहाबाद, 1987।
10. रघुबीर सिंह, भगत सिंह और स्वतन्त्रता संग्राम, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली ।
11. रवि राजन, एम॰ के॰ सिंह, भगत सिंह, के के पब्लिकेशन दिल्ली।
12. शहीद भगत सिंह की जेल डायरी, निर्देशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़, 2008।
13. अभय सिंह सन्धु, शहीद ए आजम भगत सिंह की जेल डायरी, सा॰ कुलीबर सिंह मैमोरियल पब्लिकेशन लुधियाना।
14. अवतार सिंह जयसवाल, आजादी की लड़ाई गांधी और भगत सिंह, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स ।